कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, औरैया।

पत्रांक ———— /जि0का0अ0/आ0बा0सहा0चयन/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक– 11 नवम्बर 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद औरैया के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना अछल्दा, बिधूना, सहार, ऐरवाकटरा, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया ग्रामीण एवं औरैया शहर में आंगनबाडी सहायिका पद पर मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैं :–

क्रम सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	कुल आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या
1	अछल्दा	ग्रामीण	73
2	बिधूना	ग्रामीण	122
3	सहार	ग्रामीण	109
4	ऐरवाकटरा	ग्रामीण	57
5	अजीतमल	ग्रामीण	110
6	भाग्यनगर	ग्रामीण	132
7	औरैया ग्रामीण	ग्रामीण	105
8	औरैया शहर	शहरी	20
कुल योग			728

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :–

01. आंगनबाडी सहायिका के पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
02. रिक्त पदों (आंगनबाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। चयन में मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट एवं अधिकतम् शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर की जायेगी।
03. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थाई निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
04. आवेदिका की आयु दिनांक 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
05. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन भरने से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश व अन्य दिशा–निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया जाय।
06. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 02.12.2025 को मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
07. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ सकती हैं।
08. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के वाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
09. यदि आवेदन में कोई त्रृटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगें तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया हो।
10. जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिसका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
11. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग 02 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2025 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
12. चयन में वरीयता–
    (1) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता
    (2) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की तलाकशुदा या परित्यगता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता
    (3) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता
    (4) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता
    (5) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की तलाकशुदा या परित्यगता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता
    (6) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता

नोट–01 विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
02 तलाकशुदा/परित्यगता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।

(सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
औरैया।

पृष्ठांकन सं0– C-2019 /तददिनांक

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, औरैया।
03. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, औरैया।
04. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद औरैया।
05. चयन समिति के सम्मानित सदस्य।
06. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद औरैया।
07. जिला सूचना अधिकारी, औरैया को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक जागरण व अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में निर्धारित दर से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
08. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद औरैया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये रिक्तियों का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
09. जनपद के प्रमुख कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा हेतु।
10. कार्यालय प्रति।

11/11/2025
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
औरैया।

Scanned with OKEN Scanner